राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./एएनएम/एम–133/2024/367 दिनांक : 16/12/2024

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर/अजमेर/बांसवाडा/बाडमेर/भरतपुर/
बीकानेर/बून्दी/चित्तौडगढ/रतनगढ/धौलपुर/
डूंगरपुर/गंगानगर/जयपुर–प्रथम/जैसलमेर/
जालौर/झालावाड/झुन्झुनू/जोधपुर/करौली/
कोटा/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही/टोंक/
उदयपुर/दौसा/स.माधोपुर/हनुमानगढ/बारां/
राजसमन्द/भीलवाडा/प्रतापगढ/केकडी (राज0)।

विषय :– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण सत्र 2024–25 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में निर्देश।

प्रसंग:– निदेशालय की विज्ञप्ति कमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./2024/356 दिनांक 29.11.2024 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय की सन्दर्भित विज्ञप्ति की और ध्यान आकर्षित कर लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु आपके कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के इन्द्राज, जांच, छटनी एवं मेरिट सूचियां तैयार करने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय चयन समिति का गठन किया जावें:–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, – अध्यक्ष,
2. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकरी – सदस्य,
3. नर्सिंग अधीक्षक/प्रभारी म.स्वा.कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र – सदस्य

निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के इन्द्राज, छटनी जांच एवं मेरिट सूचियां तैयार करने हेतु निम्न निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर उपरोक्त चयन समिति के किसी एक सदस्य द्वारा लघु हस्ताक्षर कर प्राप्ति दिनांक का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की मार्किंग के बाद पत्र प्राप्ति पंजिका में इन्द्राज किया जावे, तदनुसार आवेदन पत्र पर कमांक अंकन किया जावे। अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या का इन्द्राज करे। तत्पश्चात् आवेदन पत्रों की जांच छटनी का कार्य कराया जावें।
3. शैक्षणिक योग्यता के लिये सीनियर सैकेण्डरी (10+2) की अंकतालिकाओं का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्डो से मिलान कर लिया जावे, ओर यदि इस सूची के अतिरिक्त किसी अन्य बोर्ड की अंकतालिका हो तो ऐसे गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मेरिट सूची में सम्मिलित नहीं किया जावें। मान्यता प्राप्त बोर्ड की मान्यता के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से जारी नवीनतम अनुदेशिका से निर्धारण किया जावे फिर भी यदि वांछित हो तो निदेशालय स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त कर ले। बोर्ड का सत्यापन अजमेर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका एवं बोर्ड से करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य की होगी।
4. सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में पूरक परीक्षा के पूरे प्राप्तांक अंक जोडे जावे।
5. इम्प्रूवमेन्ट द्वारा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पूरे प्राप्तांक ही मेरिट के लिये जोडे जावे।
6. आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण आदि सभी बिन्दुओं पर प्रवेश विज्ञप्ति एवं निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों में उल्लेखित शर्तो/प्रावधानों की पूर्णरूपेण पालना की जावें।
7. कम्प्यूटराईज्ड श्रेणीवार मेरिट सूचियां संलग्न प्रपत्रों में तैयार कर संबंधित संयुक्त निदेशक जोन से प्रमाणित करा कर <u>दिनांक 16.01.2025 तक इस निदेशालय में विशेष पत्रवाहक के साथ गोपनीय सील बन्द कर लिफाफे में मय हार्ड व सॉफ्ट कोपी में तैयार कर संबंधित लिपिक के साथ निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे,</u> ताकि संभावित माह फरवरी, 2025 में काउन्सलिंग/प्रवेश प्रकिया शुरू करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये जा सके।
8. कार्मिक (क–2) के पत्र क्रमांक : एफ 7 (1) कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार जारी अधिसूचना प.2(12)विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार अति पिछडे वर्गो के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में जो विहित किये जाये, प्रवेश के लिए पांच

प्रतिशत आरक्षण देय होगा। अति पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न हो अन्यथा अभ्यर्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नही होगा। (उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वैबसाईट पर करे।)

9. कार्मिक (क–2) के पत्र क्रमांक एफ 7 (1) कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1) डीओपी/ए–II/2019 दिनांक 19.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न हो अन्यथा अभ्यार्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नही होगा। (उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वैबसाईट पर करे।)
10. मूल निवास प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी होना अनिवार्य है।
11. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र पिता/पति के नाम से जारी होना अनिवार्य है।
12. एएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु आने वाले निःशक्तजन अभ्यर्थियों के नियमानुसार 40 प्रतिशत से अधिक ओ0 एल0 (One Leg) केटेगरी के होने की पुष्ठि उपरान्त ही अभ्यार्थियों को एएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जावे। आप द्वारा प्रवेश के समय ओ0 एल0 (One Leg) केटेगरी के अतिरिक्त किसी अन्य निःशक्तजन को प्रवेश दिया जाता है तो प्रधानाचार्य स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
13. अभ्यर्थियों ने जिस श्रेणी/वर्ग में आवेदन किया है वह उसी के लिए मान्य होगी। अन्य वर्ग/श्रेणी में परिवर्तित नही किया जाएगा एवं आवेदन निरस्त योग्य होगा।
14. राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी/वर्ग के लिए ही पात्र होंगे।
15. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.05.2018 के अनुसार बांसवाडा, डूंगरपुर को पूर्ण एवं उदयपुर जिले की कोटडा, झाडोल (तत्कालीन फलासिया), लसाडिया, सलूम्बर, सराडा, खैरवाडा, ऋषभदेव एवं गोगुन्दा तहसील तथा गिर्वा तहसील, मावली तहसील के आंशिक ग्राम व वल्लभ नगर तहसील के आंशिक ग्राम, राजसमन्द जिले की कुम्भलगढ एवं नाथद्वारा तहसील के आंशिक ग्राम व चित्तौडगढ जिले तहसील बडी सादडी के आंशिक ग्राम व पाली जिले में बाली तहसील की ग्राम पचांयतों एवं सिरोही/प्रतापगढ जिले की कुछ पंचायतो को अनुसूचित खण्ड माना गया है, के अनुसार आरक्षण देय होगा।
16. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2024–25 से संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में मेरिट सूचियां सभी जिलों से प्राप्त होने के बाद ही काउंसलिंग/प्रवेश प्रकिया इस निदेशालय के निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

अतः उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर मेरिट सूचियां निर्धारित तिथि तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./एएनएम/एम–133/2024/367 दिनांक : 16/12/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नही है अतः त्रुटिवश किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन आपके कार्यालय में भिजवाया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्रों को तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–प्रथम को भिजवाना सुनिश्चित करे।
2. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को मेल करने का श्रम करे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान